

प्रारूप-2

(विषय ह का का उप-नियम (4) देखिए)

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक शिक्षा, जयपुर, राजस्थान

क्रमांक जिशिअ/प्राशि/जय/सा-5/प्रा-मायता/झोट./726 /2012

दिनांक:- २६/१/३

संस्था सचिव

अस्ट्राइलिया राज्य (विद्यालय)

विद्यालय विद्यालय

उपर

विषय:- नियम ४-क के उप-नियम (4) के अनुरूप विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण पत्र।

आपके आवेदन दिनांक और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ किये गये पश्चातवर्ती पत्र व्यवहार/निरीक्षण के संदर्भ में अस्ट्राइलिया राज्य (विद्यालय) विद्यालय (विद्यालय) विद्यालय नम्बर (विद्यालय का नाम और पता) तक के लिए कक्षा तक दैनें दौरी की कालावधि के लिए कक्षा नम्बर (विद्यालय को ०१-०५/१२ से तक दैनें दौरी की कालावधि के लिए कक्षा नम्बर) से तक के लिए अन्तरिम मान्यता मंजूर करता है।

अस्ट्राइलिया

उक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों नीं विद्यालय होगी:-

1. मान्यता के लिए अस्ट्राइलिया राज्य विद्यालय नहीं होगी और किसी भी तरह कक्षा-८ से आगे मान्यता/सम्बद्धता की कोई बाध्यता अस्ट्राइलिया राज्य नहीं होगी।
2. विद्यालय, निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम सं 35) और राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय, कक्षा-१ में दैनें दौरी के तृतीय विद्यालय कक्षा में 2009 के अधिनियम के अनुसार उस कक्षा के छात्रः संख्या की अधिकतम छात्रः अस्ट्राइलिया के कमज़ोर वर्ग और अभाव ग्रस्त समूह से सम्बन्धित बालकों के प्रवेश देगा और उसमें असमित लक्ष निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करावेगा।
4. पैरा-३ में निर्दिष्ट उपबन्धों के द्वारा विद्यालयों का राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के उपबन्धों के अनुसरण में प्रतिपूर्ति की जायेगी। ऐसी प्रतिपूर्ति प्राप्त करने व लिए विद्यालय एक प्रदान उक्त उपबन्ध रखेगा।

5. सोसायटी/विद्यालय कोई प्रतिवाक्ति योग्य संगठीत नहीं करेगा और बालक या असके माता-पिता संरक्षक को किसी छंटाई प्रक्रिया का पात्र नहीं बनायेगा।
6. विद्यालय आयु के सबूत के अधार में किसी बालक के प्रवेश से इनकार नहीं करेगा और 2009 के अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय यह सुनिश्चित करेगा कि :
- (i) विद्यालय में प्रदिल किसी बालक को, विद्यालय में उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी कक्षा में लेतज या विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा;
 - (ii) कोई बालक कारीडिक दर्ज का मानसिक उत्पीड़न का पात्र नहीं होगा;
 - (iii) किसी बालक से उसकी प्रारम्भिक शिक्षा की समाप्ति तक किसी बोर्ड की परीक्षा उत्तीर्ण करना अपेक्षित नहीं होगा;
 - (iv) प्रारम्भिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बालक को राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 के नियम 23 के अधीन यथा-अधिकथित प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा;
 - (v) 2009 के अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार निर्यायता/विशेष आवश्यकता के विद्यार्थियों के सम्बलित किए जायें;
 - (vi) अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1) अधीन अधिकथित न्यूनतम अध्यापक, 2009 के अधिनियम की धारा 23 के परन्तुके उपबन्धों के अनुसार, 5 वर्ष की अहताओं रहित भर्ती जिते जायें;
 - (vii) अध्यापक 2009 के अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उनके कर्तव्यों का विवरण लिये जायें और
 - (viii) अध्यापक ने जो निही उपायन क्रियाकलापों में नहीं लगायें।
7. विद्यालय, समुचित प्रभिता द्वारा अधिकारित पाठ्यक्रम के आधार पर पाठ्यविवरण का अनुसरण करेंगे।
8. विद्यालय, 2009 के अधीन वाली धारा 19 में यथा-विनिर्दिष्ट मान और मानकों का अनुस्थान करेंगे अन्तिम निरीक्षण के समाप्ति दिन की अपी सुविधाएं निम्नानुसार है :- (संस्था के द्वारा प्रस्तुत स्व घोषणा पत्र-प्रपत्र 1 के अनुसार)
- विद्यालय परिसर का निर्माण
 - कुल निर्मित क्षेत्र
 - खेल-कूद के मैदान

- कक्षा के कमरों की संख्या
 - प्रधानाध्यापक एवं कार्यालयों एवं भंडार कक्ष
 - लड़के और लड़कियों के लिए पृथक-पृथक शैक्षणिक
 - पीने के पानी की सुविधा
 - मिड-डे मील पकाने के लिए रसोई
 - अवरोध मुक्त पहुंच
 - अध्यापन विज्ञता सामग्री/खेल-कूद उपस्कर/ पुस्तकालय की उपलब्धता।
9. विद्यालय परिसर के भीतर और बाहर उसी नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जाएगी।
10. विद्यालय भवन या अन्य संरचनाएं या भैदान केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए उपयोग में लिए जायेंगे।
11. विद्यालय, सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं.21), राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 (1958 का अधिनियम सं. 28) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जाता है।
12. विद्यालय, किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जाता है।
13. किसी चार्टड एकाउंटेट द्वारा लेखों की संपरीक्षा और उन्हें प्रमाणित किया जायेगा और नियमों के अनुसार समुचित लेखा विवरण तैयार किया जायेगा। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति, जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी को प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संघर्ष (R.J/BEEO/JH/JPR/2012-13/.....) है। कृपया इसे नोट किया जाये और इस कार्यालय के साथ पत्र व्यवहार के लिए इसे उत्कथित किया जाये।
15. विद्यालय, ऐसी रिपोर्ट और सूचना देगा जिनकी निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा/ जिला प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी द्वारा समय-समय पर अपेक्षा की जाये और राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे निर्देशों का पालन करेगा जो मान्यता की शर्तों को लगातार पूरा करने या विद्यालय कार्यकरण में त्रुटियों का हटाया जाना सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा जारी किये जायें।
16. सोसायटी के रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण, यदि कोई हो, सुनिश्चित करें।
17. अन्य शर्तें संलग्न परिशिष्ट के अनुसार हैं।

ब्लॉक प्रार. शिक्षा अधिकारी
झोटवाडा (जयपुर)

५२८८
जिला शिक्षा अधिकारी
प्रारंभिक शिक्षा जायपुर